[2019] 14 एस.सी.आर. 599

तमिलनाडु राज्य

बनाम

कर्नाटक राज्य एवं एक अन्य

(मूल वाद सं. 1/2018)

में

(2019 का अंतवर्ती आवेदन सं. 95384)

14 नवम्बर, 2019

[माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन]

भारत का संविधान : अनुच्छेद 131 – उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार – वादी-तमिलनाडु राज्य तथा प्रतिवादी सं.1 – कर्नाटक राज्य, तीन बेसिन राज्यों एवं पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश में से दो तटीय राज्य, जिनसे होकर अंतर-राज्यीय नदी पेन्नैयार प्रवाहित होती है – मार्कंडेयनधी नदी, पेन्नैयार नदी की एक सहायक नदी है, जो कर्नाटक में उद्गमित होकर तमिलनाडु में प्रवेश करती है – राज्यों द्वारा अंतर-राज्यीय नदी के जल के उपयोग, नियंत्रण एवं वितरण के संबंध में अधिकारों की सीमा के विषय में तमिलनाडु राज्य तथा मैसूर/कर्नाटक राज्य के बीच वर्ष 1892 का समझौता – वादी को यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी सं.1 मार्कंडेयनधी, जो कि पेन्नैयार नदी की सहायक नदी है, पर एक अवरोधक बांध के निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है – वादी ने अनुच्छेद 131 के अंतर्गत प्रतिवादी सं.1 तथा भारत संघ के विरुद्ध यह कहते हुए वाद दायर किया कि प्रतिवादी सं.1 की उक्त कार्रवाई अवैध है; तथा प्रतिवादी सं.1 को मार्कंडेयनधी तथा पेन्नैयार नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर अवरोधक बांध/एनीकट के निर्माण से आगे बढ़ने तथा उनसे जल को पेन्नैयार बेसिन में स्थित विद्यमान टैंकों में पंप करने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोके जाने का अनुदान दिए जाने की प्रार्थना की – तत्पश्चात, वादी द्वारा एक अंतवर्ती आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रतिवादी सं.1 तथा उसके साधनों को मार्कंडेयनधी पर बांध के निर्माण को आगे बढ़ाने से रोकने तथा वर्तमान आवेदन के निस्तारण तक कर्नाटक राज्य एवं उसके साधनों को अधोप्रवाह राज्य तमिलनाडु की ओर प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध न करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई – निर्णीत हुआ : उक्त परियोजना सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ एवं अनुमतियाँ प्राप्त करने के पश्चात प्रारंभ की गई थी – निर्माण कार्य कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था; और वर्तमान में लगभग 75% कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः किसी

भी प्रकार की अंतरिम राहत प्रदान करने का कोई मामला नहीं बनता – इसके अतिरिक्त, न तो वादपत्र में और न ही अंतवर्ती आवेदन में, अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकरण के गठन के लिए निर्देश देने की प्रकृति की कोई राहत मांगी गई है – ऐसा कोई स्पष्ट संप्रेषण नहीं था, जिसके माध्यम से वादी ने केंद्रीय सरकार की शक्ति का आह्वान किया हो तथा अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण के गठन की मांग की हो – अतः दूसरे प्रतिवादी को अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण का गठन न करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता – उपर्युक्त के आलोक में, वादी को अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण के गठन हेतु उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है – अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956।

कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य **(2018) 4 एस.सी.सी. 1**; *तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य एवं एक अन्य* **(2014) 12 एस.सी.सी. 696**; *उड़ीसा राज्य बनाम भारत सरकार एवं एक अन्य* **(2009) 5 एस.सी.सी. 492**; *तमिलनाडु कावेरी नीरपसाना विलैपोरुल्गल विवसायिगल नाला उरिमै पधुगप्पु संगम बनाम भारत संघ एवं अन्य* **(1990) 3 एस.सी.सी. 440 — संदर्भित।**

<u>नज़ीर संदर्भ</u>

(2018) 4 एस.सी.सी. 1 —	**संदर्भित,**	**—**	**कंडिका 10**
(2014) 12 एस.सी.सी. 696 —	**संदर्भित,**	**—**	**कंडिका 10**
(2009) 5 एस.सी.सी. 492 —	**संदर्भित,**	**—**	**कंडिका 10**
(1990) 3 एस.सी.सी. 440 —	**संदर्भित,**	**—**	**कंडिका 10**

दीवानी मूल क्षेत्राधिकार : 2018 के मूल वाद सं. 1 में 2019 का अंतवर्ती आवेदन सं. 95384।

वाद राज्य के निवासियों की ओर से दायर किया गया, विशेष रूप से पेन्नैयार बेसिन के सूखा-प्रवण कृष्णागिरि, धर्मपुरी जिलों तथा तिरुवन्नामलाई जिले के कुछ भागों के निवासियों की ओर से।

शेखर नाफड़े, श्याम दीवान, एस. वसीम ए. क़ादरी, वरिष्ठ अधिवक्ता; जी. उमापथी, सी. परमसीवम, के. वी. विजयकुमार, वी. एन. रघुपति, सुश्री सनम त्रिपाठी, एम. पी. गुप्ता, डी. एल. चिदानंद, एस. एस. रेबेलो, अरविंद कुमार शर्मा, उपस्थित पक्षकारों की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का आदेश

माननीय न्यायमूर्ति श्री उदय उमेश ललित द्वारा पारित किया गया।

1. यह वाद दिनांक 18.05.2018 को तमिलनाडु राज्य द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत कर्नाटक राज्य तथा भारत संघ के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसमें *अन्य बातों* के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया है,

ए] "2. वादी (तमिलनाडु राज्य) तथा प्रतिवादी सं.1 (कर्नाटक राज्य), उन तीन बेसिन राज्यों तथा पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश में से दो तटीय राज्य हैं, जिनके क्षेत्र से होकर अंतर-राज्यीय नदी पेन्नैयार प्रवाहित होती है। एक तटीय राज्य होने के नाते, वादी पेन्नैयार नदी तथा उसकी सहायक नदियों/उपनदियों आदि के जल का उपयोग करने का अधिकारी है और करता रहा है, प्रतिवादी सं.1 के युक्तिसंगत लाभकारी उपयोग को छोड़कर। अंतर-राज्यीय नदी के जल के उपयोग, नियंत्रण तथा वितरण के संबंध में पक्षकार राज्यों के अधिकारों की सीमा, वर्ष 1892 में तत्कालीन मद्रास राज्य और मैसूर राज्य के बीच किए गए एक समझौते में मान्यता प्राप्त है (जिसे आगे '1892 का समझौता' कहा गया है), जो क्रमशः तमिलनाडु और मैसूर/कर्नाटक के पूर्ववर्ती राज्य थे।"

3. द्वितीय प्रतिवादी, भारत संघ, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है कि कोई भी तटीय राज्य, अन्य तटीय राज्य पर बढ़त न बना ले, चाहे वह किसी भी प्रकार के कार्यों—छोटे या बड़े—के निर्माण या क्रियान्वयन के माध्यम से हो, अथवा किसी अंतर-राज्यीय नदी के जल के उपयोग, नियंत्रण एवं वितरण से संबंधित, मुख्य नदी में या उसकी सहायक नदियों/उप-सहायक नदियों में, किसी अवरोधक बांध या विचलन संरचना का निर्माण करके हो, जिससे किसी अन्य तटीय राज्य के अधिकारों को विफल किया जा सके।

4. प्रतिवादी सं.1 ने कर्नाटक राज्य के पेन्नैयार नदी बेसिन में पाँच विभिन्न कार्य प्रारंभ किए हैं, जो नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं, अर्थात्—

i) कोलार जिला के मालूर तालुक स्थित थत्तानूर (टट्टानूर) ग्राम से पेन्नैयार नदी के जल को लगभग 65 फुट अधिक ऊँचाई पर स्थित लक्कुर टैंक तक पंप करने हेतु एक पंपिंग योजना का निर्माण, ताकि भूमिगत पीवीसी पाइपलाइन के माध्यम से लगभग 160 टैंकों में जल का वितरण किया जा सके,

ii) एलमल्लप्पा चेट्टी टैंक (येल्लमल्लप्पा चेट्टी टैंक) पर एक लिफ्ट सिंचाई योजना, जिसके अंतर्गत 3 नग 120 एच.पी. मोटरों का उपयोग कर 22 एम.एल.डी. (284 एम.सी.एफ.टी.) जल को ऊपरधारा में स्थित होस्कोट टैंक को भरने हेतु पंप किया जाना।

iii) मुख्य पेन्नैयार नदी से बेलाहल्ली (ब्यालहल्लि) ग्राम में सिंचाई प्रयोजन हेतु जल का पंप किया जाना,

iv) कोलार जिला में वरथुर टैंक (वर्तुर टैंक) के अधिशेष जल को 2.5 मीटर व्यास की पाइपलाइन के माध्यम से पंप कर नरसापुर टैंक की ओर मोड़ना तथा कोलार जिला में टैंकों को भरने हेतु पंपिंग योजनाओं का क्रियान्वयन करना, और

v) कर्नाटक शहरी जलापूर्ति एवं जलनिकासी बोर्ड द्वारा कर्नाटक–तमिलनाडु सीमा के ठीक ऊपर, यरगोल ग्राम के निकट, पेन्नैयार नदी की सहायक नदी मार्कंडेया नदी पर 500 एम.सी.एफ.टी. भंडारण क्षमता वाले एक जलाशय का निर्माण।

5. प्रतिवादी सं.1 द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाएँ वादी राज्य के कृष्णागिरि, धर्मपुरी, तिरुवन्नामलाई, विल्लुपुरम तथा कड्डालोर जिलों में लाखों किसानों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगी, क्योंकि इससे नदी का प्रवाह अत्यधिक रूप से कम/बाधित हो जाएगा, साथ ही वादी राज्य की पेयजल आवश्यकताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

बी] वादपत्र में प्रतिवादी सं.1 द्वारा किए गए कुछ कार्यों का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया गया है:-

"12. मार्कंडेयनधी नदी, पेन्नैयार नदी की एक सहायक नदी है, जो कर्नाटक में उद्गमित होकर कृष्णागिरि जिला के सिगरलापल्ली ग्राम के निकट तमिलनाडु में प्रवेश करती है और तमिलनाडु में लगभग 29.4 कि.मी. की दूरी तय करने के पश्चात, कृष्णागिरि जलाशय के ऊपरधारा में पेन्नैयार नदी में मिल जाती है। मार्कंडेयनधी का उप-बेसिन क्षेत्र, जो कर्नाटक में स्थित है, लगभग 150 वर्ग कि.मी. है। उस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 730 मि.मी. है। अधोप्रवाह तटीय राज्य, ऊपरधारा क्षेत्रों से प्रवाह की प्राप्ति का अधिकारी है। तमिलनाडु में मार्कंडेयनधी पर चार एनीकट स्थित हैं, अर्थात्

सिगरलापल्ली एनीकट, मरासंदिरम एनीकट, बीमंदपल्ली एनीकट तथा कोल्लापट्टी एनीकट, जिनका कुल आयाकट 870.55 हेक्टेयर (2150 एकड़) है। मार्कंडेयनधी पर स्थित प्रथम एनीकट सिगरलापल्ली एनीकट है, जो कर्नाटक–तमिलनाडु राज्य सीमा से लगभग 1.9 कि.मी. की दूरी पर, सिगरलापल्ली ग्राम के निकट स्थित है। कहा जाता है कि इस एनीकट का निर्माण स्वतंत्रता-पूर्व काल के बेरीगई ज़मींदारी शासन के दौरान किया गया था, जिसका प्रमाण आज भी उपलब्ध जीर्ण-शीर्ण ईंट-निर्माण एवं पत्थर-निर्माण से मिलता है। इसका पुनर्वास वर्ष 2008 में किया गया। वादी राज्य में इस एनीकट द्वारा सिंचित आयाकट 115.60 हेक्टेयर (या 286 एकड़) है। यह निवेदित किया जाता है कि यदि प्रतिवादी सं.1 द्वारा इन एनीकटों के ऊपरधारा में कोई अवरोधक बांध या विचलन संरचना का कार्य किया जाता है, तो उपर्युक्त उल्लिखित चारों एनीकटों द्वारा सिंचित आयाकट प्रभावित होगा।"

13. वादी राज्य के सचिव ने दिनांक 09.03.2012 के पत्र द्वारा, प्रतिवादी सं.1 को अन्य बातों के साथ यह बताया कि उसने ओराथुर में मिंडचली टैंक के माध्यम से पेन्नैयार नदी के जल को मोड़ने तथा मालूर तालुक में लगभग 160 टैंकों में जल का वितरण करने की योजना बनाई है, और यह कि पेन्नैयार, एक अंतर-राज्यीय नदी है, जो वर्ष 1892 के मद्रास–मैसूर समझौते की अनुसूची–क में उल्लिखित 15 नदियों में से एक है, तथा समझौते के खंड II और III के अनुसार, प्रतिवादी सं.1 वादी राज्य की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी नवीन सिंचाई कार्य आदि को क्रियान्वित करने के लिए प्रारंभ नहीं करेगा, और प्रस्ताव का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

14. यह कहा गया है कि *इंडियन एक्सप्रेस*, चेन्नई संस्करण, दिनांक 23.02.2012 में एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह रिपोर्ट किया गया कि प्रतिवादी सं.1 ने पेन्नैयार नदी में जल के प्रवाह को पूर्णतः अवरुद्ध करने की योजना बनाई है। इस प्रकार अवरुद्ध किए गए जल को कर्नाटक के मालूर तालुक में स्थित लगभग 160 टैंकों को पुनर्भरण करने हेतु मोड़ने का प्रस्ताव है, जो क्षेत्र में एक 'सब्ज़ी टोकरी' के रूप में उभर रहा है।

सी] तत्पश्चात वादपत्र पक्षकारों के मध्य विभिन्न पत्राचारों का उल्लेख करता है और निम्नलिखित वर्णन करता है:-

“22. वादी को यह ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी सं.1 पेन्नैयार नदी की सहायक नदी मार्कंडेयनधी पर, यरगोल ग्राम के निकट, एक अवरोधक बांध के निर्माण का प्रस्ताव कर रहा था, जिसके बारे में कहा गया कि उससे निकटवर्ती ग्रामों को पेयजल आपूर्ति की जाएगी। वादी राज्य के संबंधित कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग ने दिनांक 22.05.2013 को स्थल का निरीक्षण किया और पाया कि एनीकट हेतु प्रारंभिक कार्य प्रगति पर थे। स्थल पर लगाए गए सूचना-पट्ट से यह उद्घाटित हुआ कि कर्नाटक राज्य जलापूर्ति एवं स्वच्छता बोर्ड, बेंगलुरु द्वारा, बंगलारपेट्टई तालुक के यरगोल ग्राम के निकट, मार्कंडेयनधी पर एनीकट का कार्य कोलार, बंगलारपेट्टई, मालूर नगरों तथा मार्ग में पड़ने वाले 45 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति करने के लिए किया जा रहा है। सूचना-पट्ट पर उपलब्ध प्रस्तावित एनीकट का विवरण यह था कि एनीकट की लंबाई 414 मीटर है, जल भंडारण क्षमता 500 एम.सी.एफ.टी. है तथा परियोजना लागत रुपये 87.18 करोड़ है। एनीकट का स्थान अंतर-राज्यीय सीमा से लगभग 9.0 कि.मी. की दूरी पर है, जिसमें से 2.5 कि.मी. वन क्षेत्र में स्थित है और स्थल का स्थान वन क्षेत्र में है। यदि प्रतिवादी सं.1 मार्कंडेयनधी पर 500 एम.सी.एफ.टी. क्षमता वाला एनीकट निर्मित करता है, तो तमिलनाडु की सीमा में प्रवेश बिंदु पर मार्कंडेयनधी के प्रवाह पर गंभीर रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।”

डी] “क्षेत्राधिकार” शीर्षक के अंतर्गत, वादपत्र में निम्नलिखित कथन किया गया है:-

“46. इस माननीय न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत वर्तमान वाद पर विचार करने का मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वर्ष 1892 का अंतर-राज्यीय समझौता पक्षकार राज्यों पर बाध्यकारी है और विधि का शासन प्रतिवादी सं.1 को उक्त समझौते के उल्लंघन में कोई भी कार्रवाई करने से निषिद्ध करता है। इस प्रकार, वादी और प्रतिवादियों के मध्य एक ऐसा विवाद विद्यमान है, जिसमें प्रतिवादी सं.1 द्वारा वादी राज्य के प्रतिकूल विभिन्न कार्यों के निर्माण, जो निष्पादित किए गए हैं या किए जा रहे हैं, से संबंधित सामान्य विधि अधिकारों के संबंध में विधि एवं तथ्य का प्रश्न सम्मिलित है। प्रतिवादी सं.1 ने, वादी राज्य के अनुरोध के बावजूद, अपने द्वारा आरंभ की गई योजनाओं/कार्यों का विवरण साझा करने में भी विफलता दिखाई है और निर्माण गतिविधियों को आगे बढ़ाता जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी सं.2 भी वादी राज्य के अनुरोध पर कोई कार्रवाई करने में विफल रहा है।”

ई] अंततः, निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं:-

"(क) यह घोषित किया जाए कि प्रतिवादी सं.1 द्वारा एकतरफा रूप से पेन्नैयार नदी तथा उसकी सहायक नदियों, धाराओं आदि पर नए अवरोधक बांध/बांध एवं विचलन संरचनाओं के निर्माण हेतु आगे बढ़ना/निर्माण कर लेना, गुरुत्वाकर्षण अथवा पंपिंग द्वारा जल को मोड़ना, तथा पेन्नैयार नदी अथवा उसकी सहायक नदियों में अधिशेष देने वाले टैंकों से जल पंप करना, वादी राज्य की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना, अवैध है और वादी राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है;

(ख) प्रतिवादी सं.1 को बंगलारपेट्टई तालुक के यरगोल ग्राम के निकट मार्कंडेयनधी पर अवरोधक बांध/एनीकट के निर्माण तथा पेन्नैयार नदी और उसकी सहायक नदियों पर अवरोधक बांध/विचलन संरचना के निर्माण, तथा पेन्नैयार बेसिन में स्थित विद्यमान टैंकों में उनसे जल पंप करने से, स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाए;

(ग) प्रतिवादी सं.1 को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि पेन्नैयार नदी तथा उसकी सहायक नदियों में प्राकृतिक प्रवाह वादी राज्य की ओर बना रहे;

(घ) प्रतिवादी सं.2 को अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रदान की जाए, जिसके द्वारा वादी के दिनांक 16.03.2018 के पत्र पर, पेन्नैयार नदी में प्रतिवादी सं.1 द्वारा किए गए डैमों, विचलन संरचनाओं तथा पंपिंग योजनाओं के निर्माण के संदर्भ में, कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए; तथा

(ङ) इस माननीय न्यायालय द्वारा वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में जो अन्य डिक्री या डिक्रियाँ अथवा आदेश या आदेश पारित करना उपयुक्त और उचित समझा जाए, वह पारित किया जाए।"

2. दिनांक 05.12.2018 को दायर अपने लिखित बयान में, द्वितीय प्रतिवादी—भारत संघ—ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया:-

"यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में वर्ष 1892 के समझौते के नियम-IV के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु किसी भी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है और

इसलिए उक्त समझौते के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।"

...

.....अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को यह बताते हुए अनुरोध भेज सकती है कि किसी अंतर-राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल में राज्य के हित, अथवा उसके किसी भी निवासी के हित, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं या होने की संभावना है, जिसके कारण जल विवाद उत्पन्न हो गया है या होने की संभावना है। यह अधिनियम अंतर-राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु जल विवाद अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है, जब वार्ताएँ फलदायी परिणाम तक नहीं पहुँचती हैं। तथापि, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।"

3. मार्च 2019 में दायर अपने लिखित बयान में, प्रथम प्रतिवादी ने *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित प्रस्तुत किया:-

> "2. भारत के संविधान का अनुच्छेद 262 विनिर्दिष्ट करता है कि संसद, विधि द्वारा, किसी अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण अथवा नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन का उपबंध कर सकती है तथा संसद, विधि द्वारा, यह उपबंध कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद या परिवाद के संबंध में न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। अनुच्छेद 262 के अनुसरण में, संसद ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) को अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु अधिनियमित किया है। अधिनियम की धारा 11 विनिर्दिष्ट करती है कि किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी जल-विवाद के संबंध में, जिसे अधिनियम के अधीन अधिकरण को निर्दिष्ट किया जा सकता है, न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय क्षेत्राधिकार रखेगा अथवा उसका प्रयोग करेगा।

3. तमिलनाडु राज्य द्वारा उठाया गया विवाद दक्षिण पेन्नैयार नदी के जल के वितरण से संबंधित है, जो कर्नाटक राज्य में उद्गमित होकर तमिलनाडु राज्य तथा पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश से होकर प्रवाहित होने वाली एक अंतर-राज्यीय नदी है। वस्तुतः, पेन्नैयार नदी, जिसे दक्षिण पेन्नार नदी के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश राज्य में उद्गमित होने वाली कुछ सहायक नदियों से भी जल प्राप्त करती है। संपूर्ण विवाद एक अंतर-राज्यीय जल विवाद है। अतः यह वाद सर्वथा पोषणीय नहीं है और प्रारंभिक स्तर पर ही निरस्त किए जाने योग्य है।

....

6. तमिलनाडु राज्य की मुख्य शिकायत यह है कि कर्नाटक राज्य ने वर्ष 1892 के समझौते की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1892 के समझौते को आगे वर्ष 1933 के समझौते के अनुसार संशोधित एवं परिवर्तित किया गया था। कर्नाटक राज्य ने न तो वर्ष 1892 के समझौते और न ही वर्ष 1933 के समझौते की किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 1933 के समझौते के अंतर्गत, दक्षिण पेन्नैयार नदी बेसिन के जल का पेयजल प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए कर्नाटक राज्य के लिए तमिलनाडु राज्य अथवा किसी अन्य तटीय राज्य को सूचित करना आवश्यक नहीं है। वर्ष 1933 के समझौते का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

> "एनीकट में नदी के आर-पार, आंशिक या पूर्ण रूप से तथा किसी भी दिशा में किया गया खुरदरे पत्थर (सूखा) या ईंट-निर्माण का कोई भी निर्माण सम्मिलित होगा, जिसका प्रभाव नदी से जल को मोड़ने का हो, किन्तु यदि उसके अंतर्गत कोई सिंचाई नहीं की जानी है, तो वर्ष 1892 के समझौते के अंतर्गत किसी भी एनीकट के निर्माण के लिए मद्रास सरकार की सहमति अपेक्षित नहीं होगी।"

37. कंडिका 4(v) में उल्लिखित मार्कंडेया नदी पर 500 एम.सी.एफ.टी. भंडारण क्षमता वाले जलाशय के निर्माण के संबंध में यह प्रस्तुत किया गया है कि शहरी जलापूर्ति एवं जलनिकासी बोर्ड ने मालूर, बंगलारपेट, कोलार नगरों तथा मार्ग में पड़ने वाले 45 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु इस परियोजना को प्रारंभ किया है।

38. मार्कंडेया परियोजना का निर्माण यरगोल ग्राम के निकट लगभग 240 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया गया है। परियोजना का औचित्य यह बताया गया है कि वर्तमान में पेयजल की आपूर्ति बोरवेलों से की जा रही है, जो पूर्णतः सूख चुके हैं। वर्ष 2002 में तैयार किए गए राज्य जल गुणवत्ता एटलस में यह घोषित किया गया है कि मालूर नगर में भूजल दोहन लगभग 85% है, जिसे 'डार्क एरिया' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा कोलार नगर और बंगलारपेट नगरों में भूजल दोहन 50% से 85% के बीच है, जिन्हें 'ग्रे एरिया' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान परियोजना का निर्माण बोरवेलों में पेय योग्य भूजल की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न पेयजल समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया है। विभिन्न समयावधियों में जनसंख्या तथा जनसंख्या हेतु जल की मांग निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नगर का नाम	जनसंख्या				प्रति व्यक्ति आपूर्ति	मांग (एम.एल.डी.)		मांग(एम.सी.एफ.टी.) (9 माह हेतु)	
		2001	2011	2038	2058		2038	2058	2038	2058
1.	कोलार	113299	138462	204147	280653	100 एलपीसीडी	28.16	38.73	294.93	405.64
2.	बंगलारपेट	38684	44849	69703	95824	70 एलपीसीडी	6.73	9.26	70.50	97.01
3.	मालूर	27791	42000	50075	68841	70 एलपीसीडी	4.85	6.65	50.77	69.62
4.	मार्गवर्ती ग्राम	29773		53546	73751	40 एलपीसीडी	4.07	5.60	42.60	58.68

39. जहाँ तक 500 एम.सी.एफ.टी. क्षमता वाले मार्कंडेया जलाशय के निर्माण का संबंध है, यह केवल कोलार, बंगलारपेट तथा मालूर नगरों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से है। यह परियोजना कर्नाटक राज्य द्वारा के.यू.डब्ल्यू.एस. एंड डी.बी. के माध्यम से प्रारंभ की गई है। इस परियोजना के संबंध में 70 से 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। चूँकि यह पेयजल आपूर्ति की एक परियोजना है, अतः वर्ष 1892 के समझौते अथवा वर्ष 1933 के समझौते के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य से किसी भी प्रकार की

अनुमति अथवा सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, तमिलनाडु राज्य द्वारा इस वाद की स्थापना करने का कोई आधार नहीं है।

40. कोलार, बंगलारपेट तथा मालूर के सूखा-प्रवण नगरों एवं मार्ग में पड़ने वाले 45 ग्रामों को जल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 500 एम.सी.एफ.टी. क्षमता वाले एक जलाशय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना को वर्ष 2007 में अनुमोदित किया गया था। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 240 करोड़ रुपये है, जिसमें से 160 करोड़ रुपये कर्नाटक राज्य का बजटीय आवंटन है तथा शेष 79.92 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। यह परियोजना यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. नामक योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। इस परियोजना के लिए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से भी स्वीकृतियाँ प्राप्त की गई हैं। इस परियोजना हेतु कुल 375.37 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें से 127.10 एकड़ भूमि किसानों की है, 153.15 एकड़ भूमि वन क्षेत्र की है, जिसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति भी प्राप्त की गई है। शेष 95.12 एकड़ भूमि सरकारी गोमाला (चरागाह भूमि) है। वर्तमान में 70 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। चूँकि यह एक पेयजल परियोजना है, इसलिए वर्ष 1933 के समझौते के आलोक में तमिलनाडु राज्य की सहमति प्राप्त करने अथवा उसे सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

....

84. कंडिका 46 में किया गया यह आरोप कि इस माननीय न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 121 के अंतर्गत वर्तमान वाद पर विचार करने का मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है, सत्य नहीं है। यह आरोप कि वर्ष 1892 का समझौता पक्षकार राज्यों पर बाध्यकारी है, सत्य एवं सही होना स्वीकार नहीं किया जाता है। यह आरोप कि वादी और प्रतिवादी के मध्य ऐसा कोई विवाद विद्यमान है, जिसमें प्रतिवादी सं.1 द्वारा निष्पादित अथवा आरंभ किए गए विभिन्न कार्यों के निर्माण से संबंधित सामान्य विधि अधिकारों के संबंध में विधि एवं तथ्य का प्रश्न सम्मिलित है, भी सत्य एवं सही होना स्वीकार नहीं किया जाता है। इस माननीय न्यायालय को वर्तमान वाद पर विचार करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

4. द्वितीय प्रतिवादी के लिखित बयान के प्रत्युत्तर में दिनांक 30.04.2019 को दायर अपनी प्रत्युत्तर में वादी ने कहा:-

"i. द्वितीय प्रतिवादी का यह कथन कि वर्ष 1892 के समझौते के नियम-IV के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त न होने के कारण केंद्रीय सरकार कार्रवाई करने में असमर्थ रही, पूर्णतः अस्थिर है। यह कहा गया है कि मार्कंडेयनधी, जो कि पेन्नैयार नदी की एक सहायक नदी है, का वर्ष 1892 के समझौते में विशेष रूप से उल्लेख है या नहीं, यह प्रासंगिक नहीं है। इसके अतिरिक्त, समझौते में परिकल्पित सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, अर्थात् अधोप्रवाह तटीय राज्य की सहमति के बिना अथवा अधोप्रवाह क्षेत्रों में विद्यमान उपयोग (पेयजल एवं सिंचाई) को प्रभावित किए बिना कोई भी नई संरचना निर्मित नहीं की जानी चाहिए। मार्कंडेयनधी पर एक बड़े बांध का निर्माण तमिलनाडु में अधोप्रवाह क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और निर्माणाधीन बांध के नीचे की ओर जल की एक बूंद भी प्रवाहित नहीं होगी। यदि इस प्रकार के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया, तो विद्यमान उपयोग गंभीर रूप से प्रभावित होगा।"

ii. द्वितीय प्रतिवादी ने यह कहा है कि नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत बोर्ड के गठन हेतु तथा अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अधिकरणों की स्थापना हेतु किसी भी राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त कथन से इंकार किया जाता है। किसी अंतर-राज्यीय नदी के जल का विनियमन, संघ सूची (सूची-I) की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत आता है। प्रतिवादी सं.2, प्रतिवादी सं.1 द्वारा की जा रही ऐसी अनधिकृत एकतरफा जल-विचलनों को आगे बढ़ने से रोकने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने में विफल रहा है। वादी राज्य द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के प्राप्त होने के पश्चात भी, प्रतिवादी सं.2 ने वर्ष 2018 में केवल एक निरीक्षण दल भेजने तथा एक बैठक आयोजित करने के अतिरिक्त कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है, जबकि यह मुद्दा वर्ष 2012 में ही उत्पन्न हो चुका था।

iii. प्रतिवादी सं.2 की इस दलील के संबंध में कि वर्ष 1956 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अंतर-राज्यीय नदी पेन्नैयार से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु अधिकरण की स्थापना के लिए किसी भी राज्य सरकार से कोई

अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ, यह कहा गया है कि यह मुद्दा बेसिन राज्यों के बीच जल के आवंटन से संबंधित नहीं है, बल्कि अंतर-राज्यीय नदी तथा उसकी सहायक नदी से की जा रही अनधिकृत विचलनों से संबंधित है, जो कि उल्लंघन है। तथापि, प्रतिवादी सं.2 ने वर्ष 2012 से वादी द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, वर्ष 1892 के समझौते के खंड II में परिकल्पित अधोप्रवाह तटीय राज्य के हितों की रक्षा एवं संरक्षण तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत अधिकारों के संरक्षण हेतु, कोई विचार नहीं किया है।

5. प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान के प्रत्युत्तर में दिनांक 07.05.2019 को भी प्रत्युत्तर दायर किया गया, जिसमें *अन्य बातों* के साथ-साथ निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया:-

"6. यह पुनः दोहराया जाता है कि वाद पोषणीय है, क्योंकि प्रतिवादी राज्य समझौते का पक्षकार है। प्रतिवादी सं.1 ने पेन्नैयार नदी के जल को अनेक स्थानों पर पंपिंग द्वारा सीधे मोड़ने की स्वप्रेरित कार्रवाई की है, तथा उन टैंकों से, जिनका अधिशेष जल नदी में प्रवाहित होता था, उस जल को अन्य ऐसे टैंकों में पंप किया है, जिन्हें नदी से जल प्राप्त नहीं होता था, और इस प्रकार टैंकों से नदी की ओर होने वाले अधिशेष प्रवाह को रोक दिया है, जिससे अधोप्रवाह तटीय राज्य को देय प्रवाह से वंचित किया गया है। इस प्रकार, प्रतिवादी सं.1 द्वारा वादी राज्य के अधिकारों में हस्तक्षेप किया गया है और अनुच्छेद 131 के अंतर्गत इस शिकायत के निवारण हेतु यह वाद पोषणीय है।"

6. तत्पश्चात, वादी द्वारा अंतवर्ती आवेदन सं. 95384/2019 दायर किया गया, जिसमें निम्नलिखित निर्देशों की प्रार्थना की गई है:-

"(क) प्रतिवादी सं.1 तथा उसके साधनों को यरगोल ग्राम के निकट मार्कंडेयनधी पर बांध के निर्माण को आगे बढ़ाने से रोका जाए;

(ख) वर्तमान आवेदन के निस्तारण तक कर्नाटक राज्य तथा उसके साधनों को अधोप्रवाह राज्य तमिलनाडु की ओर प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध न करने का निर्देश दिया जाए; और"

आवेदन में यह कहा गया है:-

"2. यह कहा गया है कि आवेदक राज्य के अधिकारियों ने दिनांक 16.05.2019 को स्थल का निरीक्षण किया और मार्कंडेयनधी पर कर्नाटक राज्य द्वारा अपने उपयोग हेतु

जल को मोड़ने के लिए की जा रही निम्नलिखित गतिविधियाँ पाईं, जो अधोप्रवाह राज्य तमिलनाडु को देय प्राकृतिक प्रवाह को पूर्णतः अवरुद्ध कर देंगी।”

i. यरगोल (कर्नाटक राज्य) में मार्कंडेयनधी पर एक विशाल बांध का निर्माण कार्य चल रहा है और यह कोई अवरोधक बांध नहीं है।

ii. स्थानीय जांच के अनुसार, बांध की ऊँचाई लगभग 50 मीटर है। वर्तमान में कंक्रीट बांध का निर्माण लगभग 35 मीटर की ऊँचाई तक किया जा चुका है तथा कार्य प्रगति पर है। बांध की लंबाई लगभग 400 मीटर प्रतीत होती है। बाएँ पार्श्व तटबंध को ऊँचा किया गया है और वह लगभग तटबंध के शीर्ष स्तर तक पहुँच चुका है। ऊपरी प्रवाह दिशा के तटबंध के पिचिंग कार्य की प्रगति भी जारी है।

iii. बांध के ऊपरधारा क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सामग्री का संग्रह देखा गया है।

iv. पंपिंग स्टेशन के कार्य प्रगति पर हैं।

7. उपर्युक्त अंतवर्ती आवेदन के संबंध में प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर आपत्ति-पत्र में निम्नलिखित कहा गया है:-

“8. जहाँ तक 500 एम.सी.एफ.टी. क्षमता वाले मार्कंडेया जलाशय के निर्माण का संबंध है, यह केवल कोलार, बंगलारपेट, मालूर नगरों तथा मार्ग में पड़ने वाले 45 ग्रामों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए है। यह परियोजना कर्नाटक राज्य द्वारा कर्नाटक शहरी जलापूर्ति एवं जलनिकासी बोर्ड (के.यू.डब्ल्यू.एस. एंड डी.बी.), बेंगलुरु के माध्यम से प्रारंभ की गई है। इस परियोजना के संबंध में 70 से 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। चूँकि यह पेयजल आपूर्ति की परियोजना है, अतः वर्ष 1892 के समझौते अथवा वर्ष 1933 के समझौते के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य से किसी भी प्रकार की अनुमति अथवा सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, तमिलनाडु राज्य द्वारा इस वाद की स्थापना का कोई आधार नहीं है।”

9. कोलार, बंगलारपेट, मालूर के सूखा-प्रवण नगरों तथा मार्ग में पड़ने वाले 45 ग्रामों को जल आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 500 एम.सी.एफ.टी. क्षमता वाले एक जलाशय के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना को वर्ष 2007 में अनुमोदित किया गया था तथा तत्पश्चात वर्ष 2008 में संशोधित सरकारी आदेश जारी किया गया। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 240 करोड़ रुपये है, जिसमें से 160 करोड़

रुपये कर्नाटक राज्य का बजटीय आवंटन है तथा शेष 79.92 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। यह परियोजना भारत सरकार की शहरी अवसंरचना विकास योजना (छोटे एवं मध्यम नगरों हेतु) के अंतर्गत 79.92 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से आरंभ की गई है, जिसे यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना के प्रयोजन हेतु कुल 375.37 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें से 127.10 एकड़ भूमि कृषकों की है, 153.15 एकड़ भूमि वन क्षेत्र की है, जिसके लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति भी प्राप्त की गई है। शेष 95.12 एकड़ भूमि सरकारी गोमाला (चरागाह भूमि) है। वर्तमान में 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है। चूँकि यह एक पेयजल परियोजना है, अतः वर्ष 1933 के समझौते के आलोक में तमिलनाडु राज्य की सहमति प्राप्त करने अथवा उसे सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8. आपत्ति-पत्र के प्रत्युत्तर में तथा उसके प्रति पुनः प्रत्युत्तर में, पक्षकारों ने अपने-अपने रुख को पुनः दोहराया।

9. हमने वादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेखर नफाडे, प्रथम प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दिवान तथा द्वितीय प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. वसीम ए. क़ादरी को सुना।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नाफड़े द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया गया :-

क) जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ***कर्नाटक राज्य बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य***[1] के वाद में प्रतिपादित किया गया है, तटीय राज्यों के गलियारों से होकर प्रवाहित होने वाली कोई अंतर-राज्यीय नदी एक राष्ट्रीय संपत्ति होती है और कोई भी एकल राज्य उसके जल पर विशिष्ट स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता। तथापि, प्रथम प्रतिवादी की ओर से किए गए प्रयास जल को विशिष्ट रूप से अपने लिए अधिग्रहित करने के थे।

ख) यद्यपि पूर्ववर्ती मद्रास और मैसूर राज्यों के बीच संपन्न वर्ष 1933 के समझौते में मार्कंडेयनधी नदी का उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इस न्यायालय द्वारा ***तमिलनाडु राज्य बनाम केरल राज्य एवं एक अन्य***[2] में प्रतिपादित विधि के

1(2018) 4 एस.सी.सी. 1 (कंडिका 446.7)

2(2014) 12 एस.सी.सी. 696

अनुसार, कोई सहायक नदी अंतर-राज्यीय नदी का ही अंग होती है और इस प्रकार उक्त समझौते के अंतर्गत आच्छादित होगी।

ग) वर्ष 1933 के समझौते के खंड 1(3) के अंतर्गत एनीकट, अर्थात् छोटे नहरों के निर्माण की अनुमति दी गई थी, यदि उसमें कोई सिंचाई सम्मिलित न हो। तथापि, यह प्रावधान उन सिंचाई परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा, जिनमें 36 मीटर ऊँचाई का बांध निर्मित किया जा रहा हो।

घ) काग़ज़ी पुस्तक के पृष्ठ 215–216 पर उपलब्ध दस्तावेज़ यह दर्शाते हैं कि वादी द्वारा शिकायत उठाई गई थी और पेन्नैयार बेसिन में सभी योजनाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, किंतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। यद्यपि वादी द्वारा द्वितीय प्रतिवादी के समक्ष अभ्यावेदन एवं शिकायतें प्रस्तुत की गईं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ङ) चूँकि प्रथम प्रतिवादी द्वारा वर्ष 1933 के समझौते का उल्लंघन किया गया था, इसलिए द्वितीय प्रतिवादी को इस विषय में हस्तक्षेप करना चाहिए था, किंतु द्वितीय प्रतिवादी की ओर से पूर्ण निष्क्रियता बरती गई।

च) इस प्रश्न से निपटते हुए कि क्या मामला **भारतीय अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956** (संक्षेप में 'अधिनियम') के अंतर्गत किसी अधिकरण के समक्ष जाना चाहिए, इस न्यायालय के ***उड़ीसा राज्य बनाम भारत सरकार एवं एक अन्य***[3] तथा ***तमिलनाडु कावेरी नीरपसाना विलैपोरुल्गल विवसायिगल नाला उरिमै पधुगप्पु संगम बनाम भारत संघ एवं अन्य***[4] के निर्णयों पर भरोसा रखा गया और वैकल्पिक रूप से यह प्रस्तुत किया गया कि जब तक द्वितीय प्रतिवादी द्वारा ऐसे अधिकरण के गठन हेतु उपयुक्त कदम नहीं उठाए जाते, तब तक प्रार्थित अंतरिम राहत प्रदान की जाए।

11. दूसरी ओर, प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि:-

---

3(2009) 5 एस.सी.सी. 492

4(1990) 3 एस.सी.सी. 440

(क) वर्तमान वाद स्वयं ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 262 को अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित किए जाने पर उसके स्पष्ट अधिदेश के दृष्टिगत संधारणीय नहीं था।

(ख) वर्ष 1933 का करार केवल सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में लागू होगा और पेयजल परियोजनाओं को आच्छादित नहीं करेगा। प्रस्तुतीकरण के समर्थन में केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की रिपोर्ट का भी अवलंबन किया गया।

(ग) राष्ट्रीय जल नीति के अधीन पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और किसी भी स्थिति में पेयजल प्रयोजनों हेतु आपूर्ति किए गए जल का 80% सामान्यतः प्रतिगामी प्रवाह के रूप में पुनः नदी बेसिन में लौट आएगा।

(घ) निर्माण कार्य का लगभग 75% से 80% भाग पहले ही पूर्ण किया जा चुका था, जिसे सम्यक् स्वीकृतियों तथा संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त अनुमतियों के पश्चात् हाथ में लिया गया था। इस संबंध में कदम वर्ष 2013 से उठाए गए थे और वादी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आवेदन विलंब तथा अकर्मण्यता से ग्रस्त था।

(ङ) अंतर्राज्यीय नदी की लंबाई को दृष्टिगत रखते हुए, जलग्रहण क्षेत्र सहित बेसिन का 75% भाग तमिलनाडु राज्य में स्थित है और प्रथम प्रतिवादी द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाओं से वादी को कोई प्रतिकूलता नहीं होगी।

12. द्वितीय प्रतिवादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. वसीम ए. क़ादरी ने यह प्रस्तुत किया कि यद्यपि वादी द्वारा विभिन्न पत्राचार किए गए थे, तथापि किसी भी चरण पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विवादों पर विचार करने हेतु अधिकरण के गठन के लिए द्वितीय प्रतिवादी की शक्तियों का आह्वान करते हुए, विहित प्रपत्र में कोई अनुरोध नहीं किया गया।

13. वाद की पोषणीयता सहित विषय-वस्तु के गुण-दोष से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी दलीलों पर विधि के अनुसार पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिए जाने तथा उपयुक्त प्रस्तुतियाँ करने के पश्चात् निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। इस चरण

पर, हमें यह विचार करना है कि वर्तमान वाद के विचाराधीन रहते हुए क्या कोई अंतरिम निर्देश पारित किए जाने की आवश्यकता है।

14. अभिलेख से *प्रथम दृष्ट्या* यह स्पष्ट है कि संबंधित परियोजना सभी आवश्यक स्वीकृतियाँ एवं अनुमतियाँ प्राप्त करने के पश्चात् प्रारंभ की गई थी। यह विषय कुछ समय से प्राधिकारियों के विचाराधीन रहा है; निर्माण कार्य कुछ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था; और वर्तमान में लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः हमारी प्रथम दृष्ट्या दृष्टि में, किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत प्रदान करने का कोई मामला नहीं बनता है।

15. अब हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नफाडे की वैकल्पिक दलील तथा उनके द्वारा आश्रित इस न्यायालय के ***उड़ीसा राज्य***[3] तथा ***तमिलनाडु कावेरी***[4] वादों के निर्णयों पर विचार करते हैं। प्रथम वाद में, राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था और अन्य बातों के साथ यह प्रस्तुत किया था कि अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण के गठन हेतु उसके द्वारा किए गए अनेक अनुरोधों के बावजूद, केंद्रीय सरकार की ओर से पूर्ण निष्क्रियता बरती गई। याचिका में मांगी गई प्रधान राहत केंद्रीय सरकार को अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण के गठन हेतु उपयुक्त निर्देश देने की थी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिए जाने तक अंतरिम राहत की भी प्रार्थना की गई थी। यह बात माननीय न्यायमूर्ति कबीर (जैसा कि वे उस समय माननीय मुख्य न्यायाधीश थे), जिनसे माननीय न्यायमूर्ति कट्जू सहमत थे, के निर्णय के अनुच्छेद 1, 2, 47, 49, 50, 51, 52 एवं 53 से स्पष्ट होती है:-

> "**1.** उड़ीसा राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें भारत सरकार को प्रतिवादी सं.1 तथा आंध्र प्रदेश राज्य को प्रतिवादी सं.2 बनाया गया है और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों की प्रार्थना की गई है:"
>
> > "(क) भारत सरकार को अंतर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन एक उपयुक्त अधिकरण गठित करने तथा तत्पश्चात् आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वंशधारा नदी पर कटरगड़ा में पार्श्व नहर जल-अवरोध एवं बाढ़ प्रवाह नहर परियोजना के निर्माण से संबंधित विवाद को उसके पास निर्दिष्ट करने का निदेश दे;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य को प्रस्तावित परियोजना से संबंधित किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से विरत रहने का आदेश देने हेतु परमादेश की रिट जारी करे;"

2. जैसा कि प्रारंभिक कंडिका में ही इंगित किया गया है, यह रिट याचिका उड़ीसा राज्य द्वारा केंद्रीय सरकार को अंतर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन एक जल-विवाद अधिकरण गठित करने तथा 13-2-2006 को उड़ीसा राज्य द्वारा की गई परिवाद में अंतर्विष्ट विवाद को अधिकरण के पास निर्दिष्ट करने हेतु निदेश देने के लिए दायर की गई थी। विवाद यह था कि क्या आंध्र प्रदेश राज्य वंशधारा नदी पर कटरगड़ा में एक पार्श्व नहर जल-अवरोध तथा बाढ़ प्रवाह नहर परियोजना का निर्माण करने में न्यायोचित था, जिससे उड़ीसा राज्य को उक्त नदी से जल की आपूर्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रत्यक्ष उल्लंघन में उड़ीसा के हजारों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

...

47. उड़ीसा राज्य द्वारा शिकायत किए जाने के लगभग तीन वर्ष बीत चुके हैं, किंतु केंद्रीय सरकार ने इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की है। इस परिदृश्य में, उड़ीसा राज्य द्वारा की गई प्रार्थना अनुचित प्रतीत नहीं होती, क्योंकि दोनों राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद केवल साइड चैनल वीयर और फ्लड फ्लो कैनाल के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि मुख्यतः आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा नदी के जल को एकतरफा रूप से आंध्र प्रदेश राज्य की ओर मोड़ने के निर्णय से संबंधित है, जिससे नदी के जल को समान रूप से साझा करने के समझौते में संभावित रूप से व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

...

49. अंतरिम अवधि के दौरान अंतरिम आदेश प्रदान किए जाने के प्रश्न पर आते हुए, मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा जल विवाद अधिकरण का गठन किए जाने तक कुछ अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता, तब तक उड़ीसा राज्य द्वारा उठाई गई आपत्ति निष्फल हो जाएगी, जो कि निश्चय ही वर्ष 1956 के अधिनियम की मंशा नहीं है।

50. अधिनियम की धारा 9 द्वारा, धारा 4 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले जल विवाद अधिकरण को प्रदत्त शक्तियों के होते हुए भी, जिनमें अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति भी सम्मिलित है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के

अंतर्गत इस न्यायालय को यथास्थिति बनाए रखने हेतु अंतरिम आदेश पारित करने का पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जब तक कि अधिकरण का गठन न हो जाए, जिसके पश्चात वह धारा 9 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सके।

51. अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत निहित प्रतिबंध तब लागू होगा, जब अधिकरण का गठन हो जाएगा और जल विवाद को उक्त अधिकरण के समक्ष संदर्भित कर दिया जाएगा। तब तक धारा 11 का प्रतिबंध लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर किसी पक्षकार को उस समय तक बिना किसी उपचार के छोड़ दिया जाएगा, जब तक कि अधिकरण का गठन न हो जाए, जो कि विलंबित भी हो सकता है।

52. तदनुसार, मैं इस रिट याचिका को स्वीकृत करता हूँ तथा केंद्रीय सरकार को यह निदेश देता हूँ कि वह आज की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर एक जल-विवाद अधिकरण का गठन करे तथा आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा वंशधारा नदी पर कात्रागड़ा में पार्श्व नहर जल-अवरोध एवं बाढ़ प्रवाह नहर परियोजना के निर्माण से संबंधित उस विवाद को उसके पास निर्दिष्ट करे, जो उक्त नदी के जल के अपवर्तन हेतु है और जिसके कारण उड़ीसा राज्य को उक्त नदी से जल की आपूर्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है।

53. मैं यह भी निदेश देता हूँ कि जल-विवाद अधिकरण के गठन तथा उपर्युक्त विवाद को उसके पास निर्दिष्ट किए जाने तक, आंध्र प्रदेश राज्य कात्रागड़ा में पार्श्व नहर जल-अवरोध तथा बाढ़ प्रवाह नहर के निर्माण के संबंध में आज की तिथि की यथास्थिति बनाए रखेगा। एक बार अधिकरण का गठन हो जाने पर, पक्षकारों को अधिकरण के समक्ष आगे के अंतरिम आदेशों हेतु आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।"

द्वितीय वाद में संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका की पोषणीयता पर विचार किया गया था।

16. वर्तमान वाद में न तो वादपत्र में और न ही अंतवर्ती आवेदन में, अधिनियम के अंतर्गत किसी अधिकरण के गठन हेतु निर्देश देने की प्रकृति की कोई राहत मांगी गई है।

17. हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नफाडे से बार-बार यह दिखाने के लिए कहा कि कोई ऐसा पत्राचार प्रस्तुत किया जाए, जिसमें वादी ने केंद्रीय सरकार की शक्ति का आह्वान किया हो और वर्तमान विवाद पर विचार करने हेतु अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण के गठन का अनुरोध किया हो। श्री नफाडे ने यह स्वीकार किया कि ऐसा कोई स्पष्ट पत्राचार नहीं है, किंतु

यह प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा केंद्रीय सरकार को संबोधित विभिन्न पत्राचारों से ऐसा अनुरोध निहित रूप से अनुमानित किया जाना चाहिए।

18. यह कहा जाना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 3 यह परिकल्पित करती है कि विहित रूप और रीति में एक अनुरोध किया जाए, जिसके पश्चात केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार को प्रदत्त नियम-निर्माण शक्ति के अनुसरण में बनाए गए नियम भी एक विशिष्ट प्रपत्र का निर्धारण करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस विषय में उपयुक्त विधिक परामर्श का अभाव था। सामान्यतः ऐसे मामलों में राज्य को विशेषज्ञ विधिक परामर्श द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। यह भी संभव है कि किसी विशेष मामले में कोई राज्य अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण का गठन नहीं कराना चाहता हो और इसलिए वह जानबूझकर ऐसे अधिकरण के गठन के लिए किसी प्रत्यक्ष अनुरोध से परहेज़ करता हो। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। अतः वादी द्वारा द्वितीय प्रतिवादी को संबोधित पत्राचारों से ऐसे किसी आशय का अनुमान लगाना और फिर अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण का गठन न करने के लिए द्वितीय प्रतिवादी को दोषी ठहराना, हमारी ओर से उचित नहीं होगा।

19. इन परिस्थितियों में, इस चरण पर हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि वादी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय सरकार की शक्तियों का आह्वान करते हुए एक उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने तथा अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रार्थना करने की अनुमति दें। यदि वादी को ऐसा परामर्शित किया जाता है, तो ऐसा अनुरोध इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर किया जा सकता है।

20. उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, हमें वर्तमान आवेदन पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। अतः 2019 का अंतवर्ती आवेदन सं. 95384 निरस्त किया जाता है। वाद को आगे के निर्देशों हेतु 10 जनवरी, 2020 को सूचीबद्ध किया जाए।

निधि जैन

अंतवर्ती आवेदन निरस्त किया गया।

खंडन (डिस्क्लेमर) - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।